वकील प्रार्थी समस्त पक्षकारों पर रजिस्टर्ड एडी से सम्मन मय नोटिस व वादपत्र व प्रार्थना पत्र तथा एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश की तामिल की रसीदें 15 दिवस में पेश करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेवाकाधीन शक्तियों के तहत यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। लिहाजा प्रार्थीया से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार एकपक्षीय आदेश का युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करें अन्यथा अंतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेंगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी।

पत्रावली वास्ते देखने तामील दिनांक 10.01.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

10.1.24

पत्रावली पेश /वकीला/पकुला
पीठासीन अधिकारी ......कार्य बहिष्कार
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 13.3.24 को पेश हो

13.3.24

पत्रावली प्रस्तुत /वकीला/पकुला
पीठासीन अधिकारी ......अवकाश
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 2.5.24 को पेश हो

2.5.24

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी सं. 1 ता 19 की तामील रजि. A/D से प्राप्त। तामील मिसल रहे। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण

जारी हुए

इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अमल में लाई जाती है।
वकील प्रार्थी की एकपक्षीय
बहस सुनी गई। वकील
प्रार्थी ने निवेदन किया कि
मूल वाद के निस्तारण तक
स्थगन यथावत पारित किया
जावे। अतः वकील प्रार्थी के
निवेदन के आधार पर
मूल वाद के निस्तारण तक
स्थगन यथावत पारित किया
जाता है। पत्रावली फैसला
शुमार होकर नम्बर से कम
हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)